

फर्द अहकाम
 नागीरय व अन्य जेडीए व अन्य
 बनाम

मालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर

म. नं. 531/2014 जयपुर

(पार्थनापा अर्थाई निषेधाज्ञा)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
02/11/21	<p>अतिथार आशतकार घोषित किए जाने के आशय से मूलवाद प्रस्तुत किया गया है। जो कि हाल अकष्या अनुहार साक्ष्यवादी के स्तर पर लम्बित है। पार्थीगण का वाकफा उ अर्थात् अनेकित अनुलेष पार्थीगण की विस्तृत सूचियों की गुणवत्ता के अर्थात् विषय है। जिनके अनुहार आर्थीगण/वादीगण के अनेकित अनुलेष का निघारण किया गया है। इसके सरकारी संस्थाओं के विरुद्ध प्रस्तुत होने से तथा उधम हृष्ट्या साक्ष्यों के दृष्टिगत उधम हृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन व अणुदीय अति आर्थीगण के प्रस्तुत होने सिद्ध प्रतीत नहीं होती है। अतः पार्थीगण का प्रस्तुत पार्थनापा अर्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से स्वर्गीय निष्पत्ता है। निर्णय शुद्ध पार्थीगण के सुनाया गया।</p> <p>पतावली फेरुल सुनाए दोकर दजे नम्बर से कम है। बाद तकनीक धारित पत्र है।</p>	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर
 म. नं. 531/2014 जयपुर

